रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1046] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2011/ज्येष्ठ 11, 1933
No. 1046] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2011/JYAISTHA 11, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2011

का.आ. 1250(अ).—भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ विरुद्ध उप-राज्यपाल तथा अन्य के 2010 के डब्ल्यू. पी. सं. 1276 के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्‌द्वारा, एम.वी. ननकौरी, स्वराज दीप के कर्मी-दल के सदस्यों और प्रधान नौवहन सेवा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर के बीच खान-पान भत्ते नहीं दिए जाने के विवाद के निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित करती है। अब, केन्द्रीय सरकार, एतद्‌द्वारा, दिनांक 11-3-2011 के सं. का.आ. 505(अ) द्वारा प्रकाशित पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में संशोधन करती है, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"श्री जी.वी.एल. सत्य कुमार, आईआरटीएस, उपाध्यक्ष, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास, विशाखापट्टणम ।"

2. यह ट्रिब्यूनल, नौवहन महानिदेशालय की कर्मी-दल शाखा, मुंबई द्वारा चलाया जाएगा ।

3. यह ट्रिब्यूनल, सभी मामलों का तत्परता से निपटारा करेगा और कार्यवाहियों के निष्कर्षों पर जितना जल्द व्यवहार्य हो सके, अपने निर्णय केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. सी-18018/1/2011-एमए]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2011

S.O. 1250(E).—In exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read in accordance with the Judgment passed by Hon'ble High Court at Calcutta in W.P. No. 1276 of 2010 National Union Seafarers of India V/s. Lt. Governor and others, the Central Government hereby constitutes a Tribunal for referring the dispute of non-receipt of victualling allowances between Crew members of M.V. Nancowry, Swaraj Deep and Principal Director of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair to the Tribunal. Now, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Published *vide* S.O. 505(E), dated 11-3-2011, the following shall be substituted, namely :—

"Shri G.V.L. Satya Kumar, IRTS, Deputy Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam".

2. The Tribunal will be serviced by the Crew Branch of Directorate General of Shipping, Mumbai.

3. The Tribunal shall dispose of the reference expeditiously and shall, as soon as practicable on the conclusion of the proceedings, submit its award to the Central Government.

[F. No. C-18018/1/2011-MA]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

2011 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.